चिली का संविधान

ISBN: 978-81-999823-7-6

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

1. **BOOK TITLE : चिली का संविधान**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-999823-7-6**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. INDIAN FARMER AGRO CO. –** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

चिली का संविधान 2023 (Chile Constitution 2023) – हिंदी में

परिचय (Introduction)

- चिली का नया संविधान 2023 एक **Draft Constitution** है।
- यह एक **Social and Democratic State of Law (सामाजिक और लोकतांत्रिक विधि-राज्य)** की अवधारणा पर आधारित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य:
  - मानव गरिमा की रक्षा
  - सामाजिक न्याय
  - समानता
  - पर्यावरण संरक्षण

संविधान की संरचना (Structure)

Chapter I – संवैधानिक आधार (Articles 1–15)

मुख्य विषय:

- मानव गरिमा
- राज्य का स्वरूप
- लोकतंत्र
- संप्रभुता
- परिवार
- पर्यावरण

सार:

- चिली एक **लोकतांत्रिक गणराज्य** है
- राज्य का उद्देश्य **सामाजिक कल्याण और समानता** है

Chapter II – मौलिक अधिकार (Articles 16–80)

इसमें शामिल अधिकार:

✔ व्यक्तिगत अधिकार:

- जीवन का अधिकार

- स्वतंत्रता
- समानता
- निजता

✔ **सामाजिक अधिकार:**

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- सामाजिक सुरक्षा
- आवास

✔ **अन्य अधिकार:**

- पर्यावरण का अधिकार
- श्रमिक अधिकार
- लैंगिक समानता

Chapter III – राजनीतिक व्यवस्था (Articles 81–120)

मुख्य तत्व:

✔ **लोकतंत्र:**

- मतदान का अधिकार
- चुनाव प्रणाली
- राजनीतिक दल

✔ **कार्यपालिका:**

- राष्ट्रपति प्रणाली
- मंत्रिपरिषद

✔ **विधायिका:**

- संसद
- कानून निर्माण प्रक्रिया

Chapter IV – न्यायपालिका (Articles 121–140)

मुख्य बिंदु:

- न्यायपालिका स्वतंत्र है
- सर्वोच्च न्यायालय
- संवैधानिक न्यायालय
- न्यायिक समीक्षा

Chapter V – प्रशासन एवं क्षेत्रीय शासन (Articles 141–188)

मुख्य विषय:

- विकेंद्रीकरण
- स्थानीय सरकार
- क्षेत्रीय प्रशासन
- वित्तीय प्रबंधन

CHAPTER I – Bases of Constitutional Order

Article 1

- मानव गरिमा अटूट है; सभी लोग स्वतंत्र और समान हैं तथा राज्य सामाजिक और लोकतांत्रिक विधि-राज्य है।

Article 2

- राज्य का उद्देश्य सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय व समानता सुनिश्चित करना है।

Article 3

- परिवार समाज की मूल इकाई है और राज्य को इसकी रक्षा करनी चाहिए।

Article 4

- चिली एक लोकतांत्रिक गणराज्य है; संप्रभुता जनता में निहित है और चुनावों द्वारा प्रयोग होती है।

Article 5

- संप्रभुता मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय संधियों से सीमित है।

Article 6

- चिली एक एकात्मक लेकिन विकेंद्रीकृत राज्य है।

Article 7

- आदिवासी समुदायों को मान्यता और उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है।

Article 8

- सभी राज्य अंग संविधान के अधीन होंगे और उसका पालन करेंगे।

Article 9

- राज्य की शक्ति केवल कानून के अनुसार ही प्रयोग की जा सकती है; अन्यथा कार्य शून्य होगा।

Article 10

- सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार का उन्मूलन आवश्यक है।

Article 11

- राज्य को सुरक्षा, सामाजिक एकता और शांति सुनिश्चित करनी है।

Article 12

- राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा करना।

Article 13

- राष्ट्रीय प्रतीक — ध्वज, प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रगान हैं।

Article 14

- बच्चों और किशोरों के हित सर्वोच्च हैं और उनका विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

Article 15

- आतंकवाद मानवाधिकारों के विरुद्ध है और इसके लिए दंड निर्धारित किया जाएगा।

CHAPTER II – Fundamental Rights

Article 16 (Main Rights Block)

(1)

- प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है और मृत्युदंड निषिद्ध है।

(2)

- शारीरिक और मानसिक अखंडता का अधिकार; यातना निषिद्ध है।

(3)

- कानून के समक्ष समानता और भेदभाव निषिद्ध है।

(4)

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार।

Article 17

- निजी जीवन और व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा की जाएगी।

Article 18

- घर और संचार की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

Article 19

- विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित है।

Article 20

- अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार।

Article 21

- सूचना तक पहुँच का अधिकार।

Article 22

- शांतिपूर्ण सभा का अधिकार।

Article 23

- संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता।

Article 24

- संपत्ति का अधिकार संरक्षित है।

Article 25

- आर्थिक गतिविधियों और उद्यम की स्वतंत्रता।

Article 26

- काम करने का अधिकार।

Article 27

- श्रमिक अधिकार और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता।

Article 28

- शिक्षा का अधिकार।

Article 29

- स्वास्थ्य का अधिकार।

Article 30

- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।

Article 31

- उचित आवास का अधिकार।

Article 32

- जल और स्वच्छता तक पहुँच का अधिकार।

Article 33

- स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार।

Article 34

- सांस्कृतिक पहचान और विरासत की रक्षा।

Article 35

- वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने का अधिकार।

Article 36

- उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा।

Article 37

- ग्रामीण और कृषि विकास का संरक्षण।

Article 38

- पुरुष और महिला के बीच समानता।

Article 39

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार।

Article 40

- वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार और सम्मान।

CHAPTER II – Fundamental Rights (Continuation)

Article 41

- राज्य सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

Article 42

- कमजोर और वंचित वर्गों की विशेष सुरक्षा की जाएगी।

Article 43

- राज्य मानव विकास और गरिमामय जीवन को बढ़ावा देगा।

Article 44

- सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच का अधिकार है।

Article 45

- राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देगा।

Article 46

- शिक्षा प्रणाली में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

Article 47

- श्रमिकों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित होंगी।

Article 48

- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली राज्य द्वारा संरक्षित होगी।

Article 49

- आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक न्याय के अनुरूप होंगी।

Article 50

- प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा।

Article 51

- राज्य सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करेगा।

Article 52

- अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपाय उपलब्ध होंगे।

Article 53

- प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान संरक्षण मिलेगा।

Article 54

- न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

Article 55

- उचित प्रक्रिया (Due Process) का अधिकार सुनिश्चित है।

Article 56

- गिरफ्तारी और दंड केवल कानून के अनुसार ही होंगे।

Article 57

- निर्दोषता का सिद्धांत लागू होगा।

Article 58

- पूर्वव्यापी दंड (Retroactive punishment) निषिद्ध है।

Article 59

- न्यायपालिका स्वतंत्र होगी।

Article 60

- न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।

Article 61

- राज्य मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

Article 62

- सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

Article 63

- प्रशासनिक कार्य कानून के अनुसार होंगे।

Article 64

- राज्य शक्ति का दुरुपयोग निषिद्ध है।

Article 65

- नागरिकों के अधिकारों का सम्मान अनिवार्य है।

Article 66

- सार्वजनिक नीति सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होगी।

Article 67

- समान अवसर और गैर-भेदभाव सुनिश्चित किया जाएगा।

Article 68

- राज्य आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखेगा।

Article 69

- सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

Article 70

- सार्वजनिक संस्थानों में नैतिकता और पारदर्शिता अनिवार्य होगी।

Article 71

- राज्य शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

Article 72

- राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा की जाएगी।

Article 73

- नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

Article 74

- लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

Article 75

- सार्वजनिक प्रशासन उत्तरदायी और पारदर्शी होगा।

Article 76

- कानून का शासन (Rule of Law) लागू रहेगा।

Article 77

- संविधान सर्वोच्च कानून होगा।

Article 78

- सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को संविधान का पालन करना होगा।

Article 79

- संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा राज्य का कर्तव्य है।

Article 80

- संविधान के उल्लंघन पर दंड और जिम्मेदारी तय होगी।

CHAPTER III – Political System (राजनीतिक व्यवस्था)

Article 81

- प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है।

Article 82

- चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित होंगे।

Article 83

- राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

Article 84

- चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी।

Article 85

- जनमत संग्रह (Referendum) और जनभागीदारी के साधन उपलब्ध होंगे।

Article 86

- नागरिकों को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है।

Article 87

- चुनावी पंजीकरण और मतदाता सूची का प्रबंधन किया जाएगा।

Article 88

- चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा।

Article 89

- चुनावी विवादों का समाधान न्यायिक प्रक्रिया से होगा।

Article 90

- राजनीतिक वित्तपोषण पारदर्शी और नियंत्रित होगा।

Article 91

- राज्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करेगा।

Article 92

- सार्वजनिक पदों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे।

Article 93

- प्रतिनिधित्व प्रणाली न्यायसंगत और समावेशी होगी।

Article 94

- चुनावी अधिकारों का दुरुपयोग निषिद्ध है।

Article 95

- राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी।

Executive (कार्यपालिका)

Article 96

- राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख होता है।

Article 97

- राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।

Article 98

- राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित होगा।

Article 99

- राष्ट्रपति संविधान और कानूनों का पालन करेगा।

Article 100

- राष्ट्रपति को प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

Article 101

- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता है।

Article 102

- मंत्रिपरिषद नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक होती है।

Article 103

- मंत्री अपने-अपने विभागों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

Article 104

- प्रशासनिक कार्य कानून के अनुसार संचालित होंगे।

Article 105

- कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होगी।

Legislature (विधायिका)

Article 106

- संसद (Legislature) कानून बनाने का मुख्य अंग है।

Article 107

- संसद का गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है।

Article 108

- संसद की कार्यवाही लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होगी।

Article 109

- कानून बनाने की प्रक्रिया निर्धारित होगी।

Article 110

- संसद को सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।

Article 111

- संसद बजट को स्वीकृति देती है।

Article 112

- संसद कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

Article 113

- कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए।

Article 114

- विधायी प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

Article 115

- संसद जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

Article 116

- सांसदों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित हैं।

Article 117

- संसद में अनुशासन और आचार संहिता लागू होगी।

Article 118

- संसद की समितियाँ कार्य को सुचारु बनाती हैं।

Article 119

- कानूनों की समीक्षा और संशोधन संभव है।

Article 120

- विधायिका संविधान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

CHAPTER IV – Judiciary (न्यायपालिका)

Article 121

- न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी।

Article 122

- न्यायालय संविधान और कानून के अनुसार कार्य करेंगे।

Article 123

- सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है।

Article 124

- न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय देंगे।

Article 125

- न्यायिक नियुक्तियाँ कानून द्वारा निर्धारित होंगी।

Article 126

- न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।

Article 127

- न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

Article 128

- न्यायिक निर्णय बाध्यकारी होंगे।

Article 129

- न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा करेगी।

Article 130

- न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव होगी।

Article 131

- संवैधानिक न्यायालय संविधान की रक्षा करेगा।

Article 132

- संवैधानिक विवादों का निपटारा न्यायालय करेगा।

Article 133

- न्यायालय कानूनों की वैधता की समीक्षा कर सकते हैं।

Article 134

- न्यायपालिका राज्य के अन्य अंगों से स्वतंत्र है।

Article 135

- न्यायिक आचार संहिता लागू होगी।

Article 136

- न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

Article 137

- न्यायिक प्रशासन प्रभावी और पारदर्शी होगा।

Article 138

- न्यायिक संस्थाओं का संगठन कानून द्वारा होगा।

Article 139

- न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग निषिद्ध है।

Article 140

- न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखेगी।

CHAPTER V – Administration & Territorial Organization

Article 141

- प्रशासनिक संरचना संविधान के अनुसार होगी।

Article 142

- राज्य प्रशासनिक रूप से संगठित और उत्तरदायी होगा।

Article 143

- क्षेत्रीय सरकारों को स्वायत्तता प्राप्त होगी।

Article 144

- स्थानीय निकायों को प्रशासनिक अधिकार दिए जाएँगे।

Article 145

- विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

Article 146

- क्षेत्रीय विकास संतुलित और न्यायपूर्ण होगा।

Article 147

- स्थानीय प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होगा।

Article 148

- प्रशासनिक निर्णय पारदर्शी होंगे।

Article 149

- सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जनहित में होगा।

Article 150

- प्रशासनिक कार्य कानून के अधीन होंगे।

Article 151

- क्षेत्रीय सहयोग और समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

Article 152

- स्थानीय सरकारें विकास योजनाएँ लागू करेंगी।

Article 153

- प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था होगी।

Article 154

- सार्वजनिक सेवाएँ प्रभावी रूप से प्रदान की जाएँगी।

Article 155

- प्रशासनिक पारदर्शिता अनिवार्य होगी।

Article 156

- भ्रष्टाचार रोकने के उपाय लागू होंगे।

Article 157

- वित्तीय प्रबंधन उत्तरदायी होगा।

Article 158

- बजट और संसाधन वितरण न्यायसंगत होगा।

Article 159

- राज्य आर्थिक संतुलन बनाए रखेगा।

Article 160

- सार्वजनिक नीति विकास उन्मुख होगी।

Article 161

- प्रशासनिक संस्थाएँ कानून के अनुसार कार्य करेंगी।

Article 162

- क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाएगा।

Article 163

- सार्वजनिक निवेश संतुलित रूप से वितरित होगा।

Article 164

- प्रशासनिक सुधार लागू किए जाएँगे।

Article 165

- स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

Article 166

- राज्य सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।

Article 167

- प्रशासनिक कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

Article 168

- प्रशासनिक विवादों का समाधान किया जाएगा।

Article 169

- सार्वजनिक प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता होगी।

Article 170

- राज्य और नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा।

Article 171

- प्रशासनिक प्रणाली संविधान के अनुरूप होगी।

Article 172

- क्षेत्रीय प्रशासन को सशक्त किया जाएगा।

Article 173

- स्थानीय सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

Article 174

- विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है।

Article 175

- संसाधनों का न्यायसंगत वितरण किया जाएगा।

Article 176

- सार्वजनिक सेवाएँ समान रूप से उपलब्ध होंगी।

Article 177

- प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

Article 178

- जवाबदेही और निगरानी तंत्र मजबूत होगा।

Article 179

- प्रशासनिक कार्य कुशलता से किए जाएँगे।

Article 180

- विकास नीतियाँ समावेशी होंगी।

Article 181

- क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

Article 182

- स्थानीय विकास योजनाएँ लागू होंगी।

Article 183

- संसाधनों का उपयोग प्रभावी होगा।

Article 184

- प्रशासनिक सुधार जारी रहेंगे।

Article 185

- जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

Article 186

- प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी।

Article 187

- शासन में पारदर्शिता और न्याय होगा।

Article 188

- राज्य प्रशासन संविधान के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा।

https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2023D.pdf

https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2023D.pdf

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932